फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

चंदुराम बनाम रामेश्वरलाल आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 72 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.09.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कथित करते हुऐ बहस की कि "एक वाद न0 76/2021 अनवान पृथ्वीराज बनाम बनवारी आदि विचाराधिन था जो दिनांक 22/2/2021 को डिक्री फरमा दिया गया था बाद में इस डिक्री कि अनुपालना मे चक 5 जे.बी.डी. की वादग्रस्त भुमि में इन्तकाल नम्बर 632 दिनांक 23/3/2021 व हरदासवाली बारानी की वादग्रस्त भूमि में इन्तकाल नम्बर 1582 दिनांक 23/3/2021 को स्वीकृत फरमा दिया गया जिससे भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रही है। उक्त वर्णित अनवानी अर्जीदावा पृथ्वीराज बनाम बनवारी आदि में जारी डिक्री की अपील प्रार्थी चन्दुराम व बनवारीलाल ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां चन्दुराम आदि बनाम रामेश्वरलाल आदि अपील स0 48/2023 प्रस्तुत कि थी जिसका निर्णय दिनांक 22/8/2024 को हो चुका है। इस अपील निर्णय के तहत आर.डबल.ए. हनुमानगढ ने सहायक कलैक्टर रावतसर के द्वारा पृथ्वीराज बनाम बनवारी आदि मे जारी किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 22/8/2024 को निरस्त कर दिया है। इस प्रकार अब आर.डबल.ए हनुमानगढ का निर्णय अन्तिम हो चुका है जिसके विरुद्ध आज तक कोई अपील प्रस्तुत नही कि गई है। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा पृथ्वीराज बनाम बनवारीलाल आदि न0 मुकदमा 76/2021 के निर्णय व डिक्री दिनांक 22/8/2024 निरस्त करने के बाद कानूनन चक 5 जे.बी.डी. व हरदासवाली की भूमि जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है दर्ज होने से पूर्व की स्थिती बहाल कि जाना कानुनन आयश्यक है जो कि किया जाना उचित है। चक 5 जे.बी.डी. व हरदासवाली बारानी की भुमि जो अप्रार्थीगण के नाम से है तथा यह भूमि इन्तकाल न0 632 व 1582 से दर्ज हुई है इसलिये आर.डबल.ए के निर्णय के बाद पुर्व स्थिती बहाल कि जावे तथा न्यायालय स्वंय भी इस प्रकार से निर्णय होने पर पुर्व स्थिती बहाल कानुनन कर सकता है इसलिये प्रार्थी उक्त निर्णय के मुताबिक भुमि की पुर्व स्थिती बहाल करवाने का अधिकारी है।" न्यायालय द्वारा सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विचारण न्यायालय व अपील न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया गया है। न्यायिक दृष्टांत मूर्ति भवानी बनाम रमेश आदि एस0सी0 2019 (1) डी.एन.जे. का अवलोकन किया गया विधिनुसार विचारण न्यायालय के आदेश अनुसार किसी प्रकार का कार्य किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाने पर प्रभावित पक्षकार विचारण न्यायालय के निर्णय के समय की स्थिति का बहाल करवाने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश को अपील न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया हैं विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में ही वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के फेर बदल किया गया हैं इस कारण प्रार्थी को धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार विचारण न्यायालय के निर्णय की स्थिति बहाल करवाने की अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण के नाम से जो चक 5 जे.बी.डी. में इन्तकाल नम्बर 632 व हरदासवाली बारानी में इन्तकाल नम्बर 1582 से निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2021 की पालना में भूमि दर्ज हुई है इस [illegible] पूर्व की स्थिती बहाल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल [illegible]र हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner